

फर्द अहकाम

(नियम-28)

अज् अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)

प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थीगण

छोटूराम

कन्हैयाल वगै.

प्रकरण : राजस्व पत्र

मुकदमा नं.- 132/2014

दिनांक	हुम या कार्यवाही इनिविलस जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुम की तामील में जारी हुये।
--------	-----------------------------	---

11.14 प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण के विरुद्ध अधीन धारा 212 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 151 सीपीसी व आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी के तहत पेश किया है। प्रार्थना पत्र का दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को जरिये सम्मन तलब किया जावे। अप्रार्थीगण सं. 1 से 5 राज्य से बाहर निवास करने पर उनको सम्मन जरिये रजिस्ट्रड डाक से भिजवाये जाने यावत वकील प्रार्थी डाकखर्च मय लिफाफा के पेश करे। पत्रावली दिनांक 18.12.2014 को पेश हो।

4

राजस्थान राज्य सरकार के प्राधिकार
 18/12/2014
 न्यायाधीश (सी. जे. जज) के रूप में
 मुकदमा नं. 10/2015

10/2015 वकील प्रार्थी उपरोक्त अपापी सं. 5 की ओर से वकील श्री कृष्णलाल पाराशर के द्वारा वाद में नकालबनाम पेश किया अपापी सं. 1 व 2 की फात की रचना व दर अधीन धारा 151 सीपीसी में पेश की। वकालत वकील प्रार्थी द्वारा गठित/अपार्थी सं. 4 का सम्मन रजिस्ट्रड डाक से भिजवाये जा वाद रचना के बारे में इसके विरुद्ध एक तरफ कार्यवाही अमल में लाने जाये है जो की सम्मन प्रकृत व सं. 5 है प्रारवली वाते जवाब देते एवं तलबी हेतु दिनांक 27/12/15 को पेश है।

4

